न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
222 / 2023	13.06.2023	27.07.2023

अनवान

1. बालू पुत्र श्री बधुर्भुजा जाट निवासी छापरी, तहसील व जिला भीलवाड़ा राज0

प्रार्थी

बनाम

1. नंदराम पुत्र कल्याण शर्मा,
2. जगदीश पुत्र कल्याण शर्मा,
3. लोकेश पुत्र गोपाल शर्मा,
4. देबीलाल पुत्र नारायण शर्मा,
5. बालू पुत्र नारायण शर्मा,
6. काना पुत्र उंकार जाट,
   निवासी छापरी, तहसील व जिला भीलवाड़ा

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री विकास जायसवाल – प्रार्थी
एक तरफा– अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम छापरी, पटवार हल्का पालड़ी, भू.अ.नि. क्षेत्र सांगानेरे, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2076–2079 के नये खाता संख्या 203 की अभिलिखित आराजी संख्या 467 / 2 रकबा 1.15 है0, आराजी सं. 468 / 2 रकबा 1.01 है0 स्थित है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के विपक्षीगण सहखातेदारान पड़ौसी हैं। जिस कारण से उनकी आराजियात / जायदाद के मध्य सीमा संबंधी आये दिन विवाद होता रहता है तथा प्रार्थीगण अपनी आराजियात का समुचित विकास नहीं करवा पा रहे हैं। प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 467 / 2 रकबा 1.15 है0, आराजी सं. 468 / 2 रकबा 1.01 है0 की पत्थरगढ़ी करा मौके पर स्थायी सीमा चिह्न घोषित कराना चाहता है।

इस पर प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 27.07.2023 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थिया द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थिया द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढ़ी का है व प्रार्थिया

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थिया आराजियात जैर बहरा के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमाकन (पत्थरगढ़ी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने की अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि मौजा ग्राम छापरी, पटवार हल्का पालड़ी, भू.अ.नि. क्षेत्र सांगानरे, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2076 2079 के नये खाता संख्या 203 की अभिलिखित आराजी संख्या 467/2 रकबा 1.15 है0, आराजी सं. 468/2 रकबा 1.01 है0 भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिह्न स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। सीमांकन (पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000/ रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा